प्रेषक,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
लखनऊ।

दिनांक 17 मार्च 2026

पत्रांक/2113/ए0सी/प्र0/2026

विषयः– वरूण विहार योजनान्तर्गत ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर स्थित ग्राम समाज की सामान्य उपयोगिता की भूमि के पुनर्ग्रहण के संबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरूण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसील–सदर व सरोजनीनगर, लखनऊ में स्थित ग्राम–भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना का कुल क्षे0–2664.91 हे0 भूमि को समझौते के आधार पर क्रय किए जाने का अनुमोदन प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.08.2025 में किया जा चुका है। उक्त के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैनामा निष्पादन की दर निर्धारण किया जा चुका है एवं सहमति से बैनामा कराये जाने की प्रक्रिया में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.अगस्त 2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग –13 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 202/एक–13–2024–रा0–13 दिनांक 25 जुलाई 2024 के क्रम में नियमानुसार बैनामा निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

वरूण विहार आवासीय योजनान्तर्गत ग्राम गहलवारा में प्राधिकरण द्वारा क्रय किए जा चुके खसरा संख्याओं के मध्य में स्थित ग्राम सभा की सामान्य उपयोगिता की भूमि का विवरण निम्नवत है।

कमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
01	Gahalwara	534 sa	1.0750	ऊसर
02	Gahalwara	530	1.2650	बंजर
03	Gahalwara	615	0.2350	सीलिंग
04	Gahalwara	594	1.1840	ऊसर
05	Gahalwara	595	1.0240	ऊसर
06	Gahalwara	597	0.7850	ऊसर
07	Gahalwara	601 Mi	0.4560	ऊसर
08	Gahalwara	602	5.8180	ऊसर
09	Gahalwara	606	0.1070	सीलिंग
		09	**11.949 Ha.**	

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार प्राधिकरण की क्रय की गयी भूमि के मध्य में पडने वाली ग्राम सभा की भूमियों को प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहण संबंधी कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

17/3/

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष